उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 65/एन0बी0/एस0बी0/2022

गौरव कुमार तिवाड़ी, प्लाटून कमांडर, आयु 37 वर्ष, पुत्र श्री धनेश चन्द्र तिवाड़ी स्थाई निवासी 34 कक्ष सं0 2, बीच बाजार, पो0आ0 देवप्रयाग, महड़ जिला टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

.....याची

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस उपमाहानिरीक्षक, पीएसी, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
3. सेनानायक, 46वीं वाहिनी पीएसी, टा0फो0, रूद्रपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री नदीमउद्दीन एवं श्री आसिफ अली, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

दिनांकः जनवरी 13, 2023

1. प्रस्तुत याचिका अलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 11.08.2020 (संलग्नक –1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 24.03.2021 (संलग्नक–2) को अपास्त (Quash) करने और अवैध तथा शून्य घोषित कर चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करने हेतु एवं समस्त परिणामिक लाभ अनुमन्य करते हुए, अनुमन्य सेवा लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि याची 2015 में उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में पीएसी में प्लाटून कमांडर पद पर भर्ती हुआ। वर्तमान में 46वीं वाहिनी पीएसी टा0फो0, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) में तैनात है। वर्ष 2019 में जब याची 46वीं वाहिनी पीएसी रूदपुर में 'ए' दल में प्रभारी के पद पर नियुक्त था तो दल प्लाटून के कान्टम कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में व्यवस्थापन के दौरान याची को दल में नियुक्त आरक्षी 2410 अरविन्द कुमार के प्लाटून पोस्ट कान्टम यूनिवर्सिटी भगवानपुर के दो मंजिला इमारत की सीढ़ियों से गिरकर पैर में चोट आने के कारण चिकित्सक द्वारा प्रदत्त 28

दिवस चिकित्सा रैस्ट पर रवाना किये जाने संबंधी पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मणराम से प्राप्त रिपोर्ट व जी0डी0 नकल के अनुसार कानि0 2410 अरविन्द कुमार को हरमिलाप जिला चिकित्सालय हरिद्वार के चिकित्सक से प्राप्त सिक रैस्ट दिनांक 20.03.2019 की प्रति प्राप्त हुई। इस संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य व सूचना याची को प्राप्त न होने पर पूर्ण सावधानी व तत्परता से इसकी आख्या श्रीमान सेनानायक महोदय को दिनांक 23.03. 2019 को याची द्वारा प्रेषित की गयी।

3 दिनांक 26.08.2019 को 'ए' दल में नियुक्त कानि 2410 अरविन्द कुमार के दिनांक 19.03.2019 को हुए एक्सीडेन्ट की गहनता से जांचकर वास्तविकता पता लगाने के आदेश विपक्षी सं0 03 द्वारा श्रीमान उपसेनानायक महोदय, 46वीं वाहिनी पीएसी टा0फो रूदपुर (उधमसिंह नगर) को दिये गये । श्रीमान उपसेनानायक महोदय, 46वीं वाहिनी पीएसी टा0फो0 रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) द्वारा बिना किसी संबंध कारण को उल्लेखित किये, बिना किसी वैध आधार के वास्तविकता को जाने बिना दिनांक 20.03. 2019 को कानि0 2410 अरविन्द कुमार की रवानगी रोजनामचाआम में चिकित्सालय हेतु दर्शाने तथा घटना की वास्तविकता की जानकारी होने के पश्चात भी कार्यालय में सही आख्या न भेजे जाने का दोषी होने का याचिकाकर्ता के विरूद्ध निष्कर्ष देते हुये जांच आख्या च–55/2019 दिनांकित 22.01.2020 विपक्षी सं0 3 को प्रेषित की। उक्त जांच आख्या की प्रति याचिका की संलग्नक 3 है।

4. श्रीमान उपसेनानायक महोदय, 46वीं वाहिनी पीएसी टा0फो0 रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) की उक्त जाचं आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य व आचरण के प्रति घोर लापरवाही अनुशासनहीनता, शिथिलता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक कार्य का आरोप लगाते हुए विपक्षी सं0 03 ने कारण बताओ नोटिस संख्या द–03/2020 दिनांक 17 फरवरी, 2020 याची की वर्ष 2019 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुए दिया। उक्त नोटिस की प्रति याचिका की संलग्नक–4 है । उक्त नोटिस का याची द्वारा उत्तर प्रेषित करते हुए उस पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुए नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। उक्त उत्तर की प्रति याचिका की संलग्नक–5 है।

5. विपक्षी सं0 03 ने कोई स्पष्ट आधार व कारण दिये बगैर ही वर्ष 2020 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का आदेश द–03/2020 दिनांक 11 अगस्त,2020 पारित कर दिया। उक्त आदेश की प्रति याचिका की संलग्नक–1 है। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0 02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील की

प्रति याचिका की संलग्नक–6 है। विपक्षी 2 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्र संख्या डीआईजी–पीएसी –200(1)/2021 (अ0) दिनांकित 24 मार्च, 2021 से निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील आदेश याचिकर्ता को 05.04.2021 को प्राप्त कराया गया। उक्त अपील आदेश की प्रति उक्त याचिका का संलग्नक–2 है।

6. याची ने सभी कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा व अनुशासन के साथ निष्पादन किया है। ए दल के जनपद हरिद्वार में व्यवस्थापन के दौरान दल के प्लाटून क्रमशः एक प्लाटून फेरूपुर, एक प्लाटून भगवानपुर तथा एक प्लाटून मय कम्पनी मुख्यालय उदासीन अखाड़ा आश्रम हरिद्वार में व्यवस्थापित था। याची दल मुख्यालय में बतौर दल प्रभारी नियुक्त था। दिनांक 20.03.2019 की प्रातः काल दल पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मण राम (पोस्ट क्वाटम यूनिवर्सिटी भगवानपुर) द्वारा याची को फोन पर बताया गया कि पोस्ट नियुक्त कानि0 2410 अरविन्द कुमार पोस्ट की सीढियों से गिर गया है जिस कारण उसके पैर में चोट आयी है। याची द्वारा कहा गया कि उक्त कानि0 को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सिक बुंक के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र दिखाओ जिसके पश्चात याची दल मुख्यालय से मय राजकीय वाहन व दल जीडी0 लेखक कानि0 रोहित कनौजिया को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर गये। जहां कानि0 अरविन्द के पैर में प्लास्टर व सर पर पट्टी लगी हुई पायी। तत्पश्चात याची मय राजकीय वाहन पोस्ट क्वाटम यूनिवर्सिटी भगवानपुर गया। जहां पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मण राम से उक्त संबंध में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उक्त कानि0 सीढ़ियों से गिरा है और उसे सिक बुक के माध्यम से चिकित्सालय भेज दिया गया है। उसके बाद याची पोस्ट प्रभारी से पोस्ट में कार्यरत कर्मचारियों की किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताने हेतु कहा गया। पोस्ट प्रभारी अवगत कराया कि किसी भी जवान की कोई समस्या नहीं है। उसके पश्चात् याची वापस दल मुख्यालय आ गया। तत्पश्चात् याची द्वारा पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मण राम से प्राप्त रिपोर्ट व जी0डी0 नकल के अनुसार कानि0 2410 अरविन्द कुमार को हरमिलाप जिला चिकित्सालय हरिद्वार के चिकित्सक से प्राप्त 28 दिवस सिक रैस्ट दिनांक 20.03.2019 को दल पोस्ट की जी0डील0 रपट संख्या 09/18.05 की रिपोर्ट दिनांक 23.03.2019 को सेनानायक महोदय को सादर प्रेषित की गयी।

7. रोजनामचाआम में अंकन का कर्तव्य प्लाटून कमांडर/दलनायक का न होकर प्रधान कांस्टेबिल–जी0डी0 लेखक का है। इसके लिए याची प्लाटून कमांडर /तत्कालीन दलनायक को दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। याची को आरक्षी 2410 अरविन्द कुमार के पोस्ट की सीढियों से गिरकर पैर में चोट लगने की सूचना पोस्ट प्रभारी

पीसीवी लक्ष्मण राम द्वारा दी गयी थी और उसी के द्वारा जी0डी0 में इसका अंकन कराया गया था अन्य कोई सूचना व संदेहात्मक कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में न आने पर याची के पास उस पर विश्वास करने व अभिलेखों के आधार पर आख्या प्रेषित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अलोच्य आदेश का आधार श्रीमान उपसेनानायक महोदय, की प्रराम्भिक जांच आख्या च–55/2019 दिनांकित 20.01. 2020 को बनाया गया है जिसके निम्न तथ्य स्वयं प्रमाणित करते हैं कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध उक्त आदेश निराधार, गलत व विधि विरूद्ध है। जांज अधिकारी ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के तथा बिना इसके कारण अभिलिखित किये याची द्वारा घटना की वास्तविक्ता को जाने बिना आरक्षी 2410 अरविन्द कुमार की रवानगी रोजनामचाआम में चिकित्सालय हेतु दर्शाने व सही आख्या न भेजने का दोषी मान लिया गया है। जांच अधिकारी ने इस तथ्य को विचार में नही लिया है कि रोजनामचाआम में अंकन का कर्तव्य प्लाटून कमांडर /दलनायक का न होकर प्रधान कांस्टेबिल जी0डी0 लेखक का है। इसके लिये याची प्लाटून कमांडर/ तत्कालीन दलनायक को दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। जांच अधिकारी ने इस तथ्य को विचार में नही लिया है कि याची को आरक्षी 2410 अरविन्द कुमार के पोस्ट की सीढ़ियों से गिरकर पैर में चोट लगने की सूचना पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मण राम द्वारा दी गयी थी और उसी के द्वारा जी0डी0 में इसका अंकन कराया गया था। अन्य कोई सूचना व संदेहात्मक कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में न आने पर याची के पास उस पर विश्वास करने व अभिलेखों के आधार पर आख्या प्रेषित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।

8. अलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 14(2) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिया गया है जबकि यह नियमावली जिस पुलिस अधिनिमय 1861 की धारा 46(1) के अन्तर्गत बनायी गयी है वह अधिनियम ही उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनिमय 2007 की धारा 86(1) से निरसित कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 87(1) के अन्तर्गत इस विषय से संबंधी कोई नियम या विनियम वर्तमान तक लागू नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधिनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित होने की कोई सूचना नहीं है इसलिए

भी उ0प्र0 पुनगर्ठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह उत्तराखण्ड में लागू नहीं है। इसलिए उक्त विभागीय कार्यवाही अवैध तथा नियम विरूद्ध है माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कान्स0 65 अनोखेलाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य (रिट पिटीशन सं0 1154 सन 2005 (एस/एस) में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 अधिनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के परिनिन्दा के दण्ड वाले नियम4(1)(b)(iv) को अवैध (ultra virus) घोषित कर दिया है। इसलिये भी परिनिन्दा लेख अंकित करने का दण्ड देने वाला उक्त आदेश अवैध है व निरस्त होने योग्य है।

9. जबकि विपक्षीगण की ओर से सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि प्रश्नगत दण्डादेश याची को उसके द्वारा अपनायी गयी अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के कारण दिया गया है। अतः याची की पूर्व चरित्र पंजिका में की गयी प्रविष्टियों का वर्ष 2019 में उसके द्वारा की गयी अनुशासनहीनता एवं लापरवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है। विभाग द्वारा याची के संबंध में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 के प्रस्तर–23(2)(ख) में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत परिनिन्दा का लघु दण्ड प्रदान किया है जो विधिसम्मत है।

10. याची द्वारा वर्ष 2019 में विभागीय कार्यो में बरती गयी लापरवाही एंव अनुशासनहीनता के लिये शपथकर्ता/ प्रतिवादी द्वारा नियमानुसार प्रारम्भिक जांच करायी गयी तथा प्रारम्भिक जांचकर्ता अधिकारी तत्कालीन उप सेनानायक 46वीं वाहिनी पीएसी टा0फोस रूद्रपुर द्वारा जांच आख्या पत्रांक च–55/2019 दिनांकित 22/01/2020 के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि याची द्वारा घटना की वास्तविकता को जाने बिना दिनांक 20.03.2019 को कानि0 अरविन्द कुमार की रवानगी रोजनामचाआम में चिकित्सालय हेतु दर्शाने तथा घटना की वास्तविकता की जानी होने के पश्चात भी दिनांक 23.03.2019 को कार्यालय में सही आख्या न भेजे जाने का याची दोषी है। उपरोक्त प्रारम्भिक जांच की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त शपथकर्ता / प्रतिवादी द्वारा याची को कारण बताओं नोटिस संख्या द–03/2020 दिनांकित 17/02/2020 के द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 4(1) (ख) के उप–नियम (चार) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 के

प्रस्तर–23 (2) (ख) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किये जाने के संबंध में कारण स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं संबंधित दण्ड पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन /अध्ययन किया गया तो याची द्वारा अपाने बचाव पक्ष में कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किये गये तथा स्पष्टीकरण निराधार पाया गया जिसके फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित निम्नलिखित परिनिन्दा प्रविष्टि याची की चरित्र पंजिका में अंकित किये जाने का दण्डादेश सं0 द–03/2020 दिनांकित 11.08.2020 पारित किया गया जो विधि सम्मत है।

11. ए दल के जनपद हरिद्वार में व्यवस्थापन के दौरान दल के प्लाटून क्रमशः एक प्लाटून फेरूपुर, एक प्लाटून भगवानपुर तथा एक प्लाटून मय कम्पनी मुख्यालय उदासीन अखाड़ा आश्रम हरिद्वार में व्यवस्थापित था। याची दल मुख्यालय में बतौर दल प्रभारी नियुक्त था। दिनांक 20.03.2019 की प्रातः काल दल पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मण राम (पोस्ट क्वाटम यूनिवर्सिटी भगवानपुर) द्वारा याची को फोन पर बताया गया कि पोस्ट नियुक्त कानि0 2410 अरविन्द कुमार पोस्ट की सीढियों से गिर गया है जिस कारण उसके पैर में चोट आयी है। याची द्वारा कहा गया कि उक्त कानि0 को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सिक बुंक के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र दिखाओ जिसके पश्चात याची दल मुख्यालय से मय राजकीय वाहन व दल जीडी0 लेखक कानि0 रोहित कनौजिया को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर गये। जहां कानि0 अरविन्द के पैर में प्लास्टर व सर पर पट्टी लगी हुई पायी। तत्पश्चात याची मय राजकीय वाहन पोस्ट क्वाटम यूनिवर्सिटी भगवानपुर गया। जहां पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मण राम से उक्त संबंध में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उक्त कानि0 सीढ़ियों से गिरा है और उसे सिक बुक के माध्यम से चिकित्सालय भेज दिया गया है। उसके बाद याची पोस्ट प्रभारी से पोस्ट में कार्यरत कर्मचारियों की किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताने हेतु कहा गया। पोस्ट प्रभारी अवगत कराया कि किसी भी जवान की कोई समस्या नहीं है। उसके पश्चात् याची वापस दल मुख्यालय आ गया। तत्पश्चात् याची द्वारा पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मण राम से प्राप्त रिपोर्ट व जी0डी0 नकल के अनुसार कानि0 2410 अरविन्द कुमार को हरमिलाप जिला चिकित्सालय हरिद्वार के चिकित्सक से प्राप्त 28 दिवस सिक रैस्ट दिनांक 20.03.2019 को दल पोस्ट की जी0डील0 रपट संख्या 09/ 18.05 की रिपोर्ट दिनांक 23.03.2019 को सेनानायक महोदय को सादर प्रेषित की गयी।

12. अलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी /कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली –1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम 14(2) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया

के अन्तर्गत दिया गया है जबकि यह नियमावली जिस पुलिस अधिनिमय 1861 की धारा 46 (1) के अन्तर्गत बनायी गयी है वह अधिनियम ही उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनिमय 2007 की धारा 86(1) से निरसित कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 87(1) के अन्तर्गत इस विषय से संबंधी कोई नियम या विनियम वर्तमान तक लागू नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधिनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित होने की कोई सूचना नहीं है इसलिए भी उ0प्र0 पुनगर्ठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह उत्तराखण्ड में लागू नही है। इसलिए उक्त विभागीय कार्यवाही अवैध तथा नियम विरूद्ध है तथा केवल इस आधार पर ही उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है।

13. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता गण की ओर से सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

14. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 18.03.2019 को कान्सटेबिल 2410 अरविन्द कुमार जब अपनी ड्यूटी समाप्ती के उपरान्त दल फोर्स से बिना अवकाश/ अनुमति के पोस्ट से बाहर जाने तथा दिनांक 19.03.2019 को स्वयं का सांयकाल समय लगभग 8.00 बजे के मध्य घर से वापस दल कैम्प आते समय अपनी बाइक का एक्सीडेंट तेज्जुपुर चौकी के आगे गांव के रास्ते में होना व उसकी सूचना टेलीफोन पर कान्सटेबिल 2328 कमला प्रसाद को देने पर तथा कान्सटेबिल कमला प्रसाद द्वारा मौखिक रिपोर्ट पोस्ट कमाण्डर पीसीवी लक्ष्मणराम को दी गयी, जिनके द्वारा कान्सटेबिल कमला प्रसाद, कान्सटेबिल कुन्दन आगरी, और कान्सटेबिल मनोज कुमार को तेज्जुपुरा भेजा गया। जहां कान्सटेबिल अरबिन्द कुमार चोटिल अवस्था में सड़क पर मिला ओर जिसे आरोग्यम चिकित्सालय लाकर भर्ती किया गया तथा पोस्ट प्रभारी पीसीवी लक्ष्मण राम द्वारा दिनांक 20.03.2019 को प्रातकालः उक्त घटना की सम्पूर्ण जानकारी दल मेजर के माध्यम से प्रभारी दलनायक गौरव तिवाड़ी को दी जानी कहा गया तथा स्वयं गौरव तिवाड़ी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर गये थे और चोटिल कान्सटेबिल अरविन्द कुमार जिससे आरोग्यम चिकित्सालय से ही सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर ले गये थे की रवानगी रोजनामचाआम में भगवानपुर चिकित्सालय हेतु दर्शाने तथा घटना की वास्तविकता की जानकारी होने के पश्चात् दिनांक 23.03.2019 को कार्यालय में सही आख्या नही भेजे जाने हेतु जांच अधिकारी द्वारा दोषी पाया गया।

15. याचीकर्ता ने जाचं अधिकारी द्वारा वास्तविक घटना की जानकारी होने के बावजूद कार्यालय में सही आख्या नही भेजे जाने के दोष से दोषी होने आरोप से इन्कार किया गया तथा कारण बताओ नोटिस से विरूद्ध दिये गये जबाव में आरोप को गलत होना बताया तथा पोस्ट प्रभारी लक्ष्मण राम व कान्सटेबिल अरविन्द कुमार द्वारा प्रश्नगत दुर्घटना की सही जानकारी न देना कहा गया

16. याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याची के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित किये बिना ही दण्डाधिकारी द्वारा उपधारणा एवं स्वैच्छाचारिता के आधार पर दण्डादेश हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया तत्पश्चात् दण्डादेश दिनांक 11.8.2020 को पारित किया गया तथा अपील प्राधिकारी द्वारा भी विवेक का इस्तेमाल किये बिना ही विपक्षी सं0 3 के द्वारा पारित दण्डादेश आदेश को पुष्ट किया गया। अतः विपक्षीगण 2 व 3 द्वारा पारित दण्डादेश अपास्त होने योग्य है चूंकि जी0डी0 व सिक बुक में इन्द्राज करने का कार्य पोस्ट प्रभारी पीवीसी लक्ष्मण राम के निर्देशानुसार व देख–रेख में किया जाता था जिसके कारण याची को घटना की सही जानकारी न दिये जाने के कारण याची द्वारा कान्सटेबिल अरविन्द कुमार का चिकित्सीय अवकाश प्रार्थना पत्र कार्यालय को प्रेषित किया गया, याची द्वारा जानबूझ कर कोई त्रुटि अथवा लापरवाही नही की गयी जांच अधिकारी व उत्तरदाता सं0 2 व 3 द्वारा याची को क्षति कारित करने के आशय से जानबूझ कर दोषी पाते हुए दण्डित किया गया है। अतः दण्डादेश निरस्त होने योग्य है।

17. जब कि विपक्षीगण की ओर से विद्वान सहायक प्रस्तुकर्ता अधिकारी द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हए कहा गया कि याची को दिनांक 20.03.2019 को घटना की वास्तविक जानकारी होने के पश्चात् भी याची द्वारा दिनांक 23.3.2019 को सेनानायक कार्यालय रूद्रपुर को सही जानकारी नही भेजी गयी और जिसके संबंध में विपक्षी सं0 3 द्वारा प्रारम्भिक जांच करवायी गयी जिसमें याची को घटना की वास्तविकता को जाने बिना दिनांक 20.03.2019 को उक्त कान्सटेबिल अरविन्द कुमार की रवानगी रोजनामचाआम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर हेतु दर्शाने तथा दिनांक 23.03.2019 को मिथ्या आख्या सेनानायक कार्यालय को भेजे जाने का दोषी पाया गया जिसके पश्चात् याची को उत्तराखण्ड (उ0प्र0 अधिनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के नियम –4 (1) (ख)के उपनियम 4 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 के प्रस्तर 23(2)(ख) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिनिन्दा प्रविष्टी प्रदान किये जाने के संबंध में कारण स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं

संबंधित जांच पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन /अध्ययन किया गया। याची द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किये गये। जिस कारण से विपक्षीगण द्वारा पारित प्रतिकूल प्रविष्टि में कोई भी अवैधानिकता नहीं है तथा याचीकर्ता की याचिका निरस्त होने योग्य है।

18. पत्रावली पर जांच रिपोर्ट संलग्नक 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कान्सटेबिल 2410 अरविन्द कुमार दिनांक 18.03.2019 को अपनी ड्यूटी समाप्ती के उपरान्त दल पोस्ट से समय 17.00 बजे के बाद बिना अवकाश/अनुमति के पोस्ट से रात बाहर जाने तथा 19.03.2019 को स्वयं का एक्सीडेन्ट रात्री को तेज्जुपुर के पास होने की सूचना कान्सटेबिल 2328 कमलाप्रसाद को मो0 नं0 9837928547 पर दी गयी और जिसकी तत्काल मौखिक सूचना पोस्ट कमाण्डर पीवीसी लक्ष्मण राम को दिया जाना कान्सटेबिल कमला प्रसाद द्वारा कहा गया और जिस पर पोस्ट प्रभारी द्वारा कान्सटेबिल कुन्दन आगरी, कान्सटेबिल मनोज कुमार, कान्सटेबिल कमला प्रसाद को कान्सटेबिल अरबिन्द कुमार को देखने हेतु तेज्जुपुर भेजा गया जैसा कि कान्सटेबिल कमला प्रसाद, मनोज कुमार, व कुन्दन आगरी द्वारा प्रारम्भिक जांच के दौरान जांच अधिकारी को अपने बयानत में भी कहा गया है।

19. अब जहां तक याचीकर्ता का यह कथन है कि उन्हें पीसीवी लक्ष्मण राम द्वारा सही जानकारी नही दी गयी विश्वसनीय नही है क्योंकि जांच अधिकारी को पीवीसी 2037 लक्ष्मण राम द्वारा अपने बयानात में स्पष्ट कहा गया है कि ''दिनांक **20.03.2019 की प्रातःकाल उक्त घटना की सम्पूर्ण जानकारी मेरे द्वारा दल मेजर के माध्यम से प्रभारी दल नायक को दी गयी। प्रभारी दल नायक गौरव तिवाड़ी के आदेशानुसार कान्सटेबिल अरविन्द कुमार का उपचार की अग्रिम प्रक्रिया राजकीय चिकित्सालय से करने के उद्देश्य से उसको दिनांक 20.03.2019 को प्रातः समय 9.00 बजे दल पोस्ट से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर के लिए सिक बुक के माध्यम से रवाना दिखाया गया। जिसकी रवानगी इत्यादि को रपट जी0डी0 में अंकित की गयी, जिसमें कान्सटेबिल 2410 अरविन्द कुमार सीड़ियों से फिसलने पर सर और पैर में चोट लगने के कारण उक्त स्वास्थ्य केन्द्र रवाना किया जा रहा है''।**

20. आगे पीसीवी लक्ष्मण राम द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान पूछे गये प्रश्न कि **''आपको यदि ज्ञात था कि कान्सटेबिल अरविन्द कुमार का दिनांक 19.3.2019 को एक्सीडेन्ट हो गया है तो आपके द्वारा 20.03.2019 को उक्त कान्सटेबल को सिक बुक के माध्यम से जाना इत्यादि जी0डी0 में क्यों दर्शाया गया''?** जिसके उत्तर में साक्षी में लक्ष्मण राम द्वारा कहा गया कि **''दिनाक 19.03.2019 की रात्री एक्सीडेंट की जानकारी**

मेरे द्वारा सीएचएम0 के माध्यम से दल प्रभारी को बताया गया तथा स्वयं दिनांक 20.03.2019 को दल मुख्यालय से मय राजकीय वाहन व कान्सटेबिल रोहित कनौजिया के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर में आये और कान्सटेबिल अरविन्द कुमार से मिलकर वापस कैम्प में आये और उनके द्वारा ही उक्त दिशा–निर्देश दिये गये। जिस पर उसके अनुरूप मेरे द्वारा कार्यवाही की गयी''।

21. उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता को दिनांक 20.03.2019 की प्रातः घटना की जानकारी हो गयी थी और जिस पर याचीकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर भी गए लेकिन याचीकर्ता द्वारा कहीं भी अपने बयानात में इस बात का उल्लेख नही किया कि कान्सटेबिल अरविन्द कुमार के पैर फ्रैक्चर व सिर पर आई चोट के संबंध में चिकित्सक एवं स्वयं कान्सटेबिल अरविन्द कुमार से पूछा गया हो कि उपरोक्त चोटे कब, कहां एक्सीडेन्ट होने से आई जो पीसीवी लक्ष्मण राम के बयान के बिल्कुल विरूद्ध है क्योंकि उनके द्वारा कान्सटेबिल अरविन्द कुमार तेज्जुपुर में मोटर साइकिल से एक्सीडेन्ट होने व एक्सीडेंट की सूचना दिनांक 20.03.2019 को प्रातःकाल दलनामय को दे गयी थी और लक्ष्मण राम की सूचना के बाद ही याचिकाकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर भी चोटिल को देखने गये थे। इतना ही नहीं स्वयं कान्सटेबिल 2410 अरविन्द कुमार द्वारा भी प्रारम्भिक जांच के दौरान अपने साक्ष्य में कहा गया कि ''**दिनांक 18.03.2019 को मैं दिन की ड्यूटी समाप्त करने के पश्चात् अपने पोस्ट कमाण्डर श्री लक्ष्मण राम आर्या से पूछकर अपने गांव घर पर पत्नी को डाक्टर को दिखाने के लिए गय था। दिनांक 19.03.2019 को रात्रि में घर से वापस कैम्प जा रहा था कि समय करीब 07.30 से 08.00 बजे रात्रि में तेज्जुपुर चौकी के पास गावं के रास्ते में मेरी मोटर साईकिल अचानक आगे से बैल आने के कारण सड़क पर फिसल गयी। जिससे मेरी दाहिने घुटने व सर में काफी चोट आ गयी थी तो मैंने वही से पोस्ट अपने साथी कानि0 कमला प्रसाद व कानि0 मनोज कुमार को फोन करके घटना की सूचना दी तो कानि0 कुन्दन आगरी व कानि0 मनोज व कानि0 कमला प्रसाद प्राईवेट गाड़ी से मैके पर पहुंच गये थे तथा वो लोग मुझे अपनी गाड़ी से आरोग्यम अस्पताल भगवानपुर ले गये थे। जहां पर मैं रात भर अस्पताल में रहा तथा सुबह पोस्ट कमाण्डर के कहने पर कानि0 विकास कुमार आरोग्यम अस्पताल से भगवानपुर सरकारी अस्पताल एम्बुलेन्स से ले गये थे वहां से मुझे रूडकी सरकारी अस्पताल रैफर किया गया था वहां भी डाक्टर के न मिलने के कारण मुझे सरकारी अस्पताल हरिद्वार रैफर कर दिया गया था। जहां से मुझे 28 दिन का मेडिकल रैस्ट दिया गया था। उसके बाद मैंने अपना ईलाज रूडकी के सक्षम अस्पताल में कराया था। जहां अभी भी मेरा ईलाज चल रहा है। मुझे पोस्ट पर सीडियों से गिरकर कोई चोट नहीं आयी थी। मैं 20.03.2019 को पोस्ट पर नहीं गया था। मुझे नही मालूम कि उस दिन की घटना**

को पोस्ट कमाण्डर द्वारा सीडियों से गिरकर चोट लगना क्यों दिखाया गया था। मैं पोस्ट पर सीडियों से नहीं गिरा था''। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.03.2019 को घटना होने पर कान्सटेबिल अरविन्द कुमार द्वारा पूर्व में अपने मो0 नं0 से कान्सटेबिल कमला प्रसाद को फोन पर प्रश्नगत एक्सीडेन्ट होने की सूचना दी गयी ओर जिसके आधार पर सूचना मिलने पर पीसीवी लक्ष्मण को मौखिक रिपोर्ट की गयी जिस पर पोस्ट प्रभारी लक्ष्मण राम द्वारा कान्सटेबिल कुन्दन आगरी, मनोज कुमार, व कमला प्रसाद को घटना स्थल पर भेजा गया जिनके द्वारा कान्सटेबिल अरविन्द कुमार की चोटों को देखते हुए नजदीकी चिकित्सालय आरोग्यम होस्पिटल ले जाया गया और जहां डाक्टर द्वारा भर्ती किये जाने का उल्लेख उपरोक्त तीनों गवाहन द्वारा अपने बयानात में किया गया लेकिन याची द्वारा आरोग्यम होस्पिटल के चिकित्सक द्वारा तैयार की गयी मेडिकल हिस्ट्री का भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया और दिनांक 23.03.2019 को आरक्षी 2410 अरविन्द कुमार पलाटून पोस्ट कान्टम यूनिवर्सिटी भगवानपुर के दो मंजिला इमारत की सीड़ियों से गिरकर चोट आने के कारण चिकित्सक द्वारा 28 दिवस चिकित्सा रेस्ट पर रवाना किये जाने संबंधी आख्या कार्यालय सेनानायक रूद्रपुर उधमसिंह नगर को प्रेषित की गयी। जिसकी प्रराम्भिक जांच करने के उपरान्त उक्त आख्या को असत्य एवं मिथ्या पाया जिसके संबंध में याचीकर्ता द्वारा समक्ष प्राधिकारी के समक्ष कोई भी ठोस साक्ष्य अपने स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत नही किये गये, जिसके आधार पर विपक्षीगण 3 व 2 द्वारा याचिकाकर्ता का यह कृत्य अपने कर्तव्य /आचरण के प्रति घोर अनुशासनहीनता लापरवाही व स्वैच्छाचारिता का द्योतक पाते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि दिये जाने का दण्डोदश पारित किया गया जिसमें कोई भी वैधानिक त्रुटि नहीं है। तद्नुसार याचीकर्ता की याचिका निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीकर्ता श्री गौरव कुमार तिवाड़ी प्लाटून कमाण्डर की याचिका निरस्त की जाती है। वाद व्यय उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

दिनांकः जनवरी 13, 2023
देहरादून।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)